TRANSPORT DEPARTMENT

NOTIFICATION Jaipur, March 08, 2016

In exercise of the powers conferred by the sub-rule (1) of rule 4.6 of Rajasthan Motor Vehicles Rules, 1990 and in supersession of this department's Notification number F 7 (94) Pari/ Rule/ Hq/94/ 644 Dated 27.04.2012, the State Government being of the opinion that it is expedient in public interest so to do, hereby exempts two wheeler vehicles distributed free of cost under Dev Narayan Chhatra Scooty Vitran and Protsahan Yojna or Anusuchit Janjati Chhatra Nishulk Scooty Vitran Yojna or Rajasthan Medhavi Chhatra Protsahan Yojna from payment of registration fee payable under Rule 81 of Central Motor Vehicles Rules,1989.

[F.6(179)/Pari/Tax/Hqrs/95/27E] By order of the Governor,

(Dr. Manisha Arora)
Joint Secretary to Government

परिवहन विभाग अधिसूचना जयपुर, मार्च ०८, २०१६

राजस्थान मोटर यान नियम, 1990 के नियम 4.6 के उप-नियम (1) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए और इस विभाग की अधिसूचना संख्यांक एफ 7(94)पिर/ नियम/मु0/94/644 दिनांक 27.04.2012 को अतिष्टित करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोकहित मे ऐसा किया जाना समीचीन है, देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण और प्रोत्साहन योजना या अनुसूचित जनजाति छात्रा निःशुल्क स्कूटी वितरण योजना या राजस्थान मेघावी छात्रा प्रोत्साहन योजना के अधीन मुफ्त वितरित किये गये दुपहिया यानों को, केन्द्रीय मोटर यान नियम 1989, के नियम 81 के अधीन संदेय रिजस्ट्रीकरण फीस के संदाय से इसके द्वारा छूट देती है।

[सं.एफ.६(१७९)परि/टैक्स/एचक्यू/९५/२७ई] राज्यपाल के आदेश से,

> डॉ. मनीषा अरोड़ा, संयुक्त शासन सचिव